BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

OA No. 274 OF 2022

IN THE MATTER OF:

PREM AGGARWAL & ORS ... APPLICANT

Versus

GOVT OF NCT OF DELHI & ORS ... RESPONDENTS

Status report on behalf of Municipal Corporation, Ghaziabad

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present matter is pending before this Hon'ble Tribunal and is next listed on 08-08-2024.

2. That Sahibabad Drain starts in Delhi near Bhaupura Border at Tulsi Niketan and meets Ghazipur Drain on Chilla- Regulator in Noida before ending up in River Yamuna.

3. That Sahibabad drain carries UT effluent from Tulsi Niketan, Shaheed Nagar, Shalimar Garden, Karheda, Rajendra Nagar, Braj Vihar, Sahibabad Industrial Area, Kaushabi, Vaishali etc.

4. That before entering into Delhi, the total discharge in the drain before entering in Delhi was measured at 90MLD in 2019.

5. That UTD in Sahibabad drain was satisfactorily being treated 74 MLD STP situated at NH-24 Indirapuram. When the load grew, overload UTD was diverted to 56 MLD STP at Indirapuram through 17 MLD Sewage Pumping Station (SPS) from J-Point MPS. Therefore, prior to it, there was no over-flow in Sahibabad Dain by tapping in place at relevant point of time. At present, due to over-population, now overflow is being observed at tapping point.

6. That to eradicate it, under Amrit 2.0 Program, construction of Ghaziabad Sewer Project (Karheda Zone) is under progress, in which 68 MLD STP is being constructed, which will be connected to 145.00 KM Sewer Network and 67669 House-hold sewers. Under this Project, 12 MLD UTD in Sahibabad drain catchment from Bhaupura, Kuti, Shalimar Garden, Pasaunda, DLF Colony and other places will be treated. All the above works are to be done by UP Jal Nigam (Urban), the completion date of which is June, 2026. Budget of the Project has been sanctioned in Amrit 2.0.

7. That the detailed report of the UP Jal Nigam is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-1**.

8. That vide Minutes of Meeting Dated 04.04.2024, with the Chief Engineer (DR.) Project-III, it was resolved as under:

8. CE N (Dr.), DJB further raised the issue of untreated sewage and industrial waste coming to Trunk Drain No./ Shadhara Drain from Indrapuri Drain, Banthala Drain and Sahibabad Drain from UP side for which CETP and STP may be installed so that no untreated sewage is discharged into the Shadhara Drain form Uttar Pradesh/ Ghaziabad.
9. CEO, DJB desired that UP Jal Nigam, UP Irrigation Department and Municipal Corporation of Ghaziabad, UP PCB may deliberate and arrive at a consolidated action plan under the chairmanship of DM Ghaziabad for desilting of drains and removal of encroachments, tree plantation, etc. as a short-term measure and action plan for closure of unauthorized industries along with treatment of industrial and domestic waste as long-term measure which can be submitted to Hon'ble NGT before next date of hearing i.e. 12.04.2024.
10. ADM (Ghaziabad) who attended on behalf of Ghaziabad District Administration assured that he will coordinate various concerned departments of UP and will submit a joint action plan before Hon'ble NGT through DM (Ghaziabad).
11. As per directions of Hon'ble NGT dated 27.04.2022, DPCC was appointed as Nodal Agency for coordination and compliance. In compliance of directions of Hon'ble NGT dated 15.02.2024 CEO, DJB had convened this meeting on 08.04.2024 with all concerned officers and coordinate deliberations for remedial measures to be taken by respective agencies/states.
12. CEO, DJB also noted that Shadara drain pertain to I&FCD Delhi, and both industrial and domestic waste is coming from UP and Delhi area and further suggested that UP PCB be nominated as Nodal Agency from the UP side and DPCC be nominated as the Nodal Agency from the Delhi. Further CPCB should be made the Chief Nodal Agency to coordinate with both the states (UP PCB & DPCC) in this matter so that compliance of directions of Hon'ble NGT could be achieved. Necessary approval from the Hon'ble NGT may also be obtained in this regard.

The true copy of the Minutes of Meeting is on the judicial record of the Hon'ble Tribunal's Paper-book in OA No. 274 of 2022 titled Prem Aggarwal & Ors. *v.* Govt of NCT of Delhi & Ors. at Page No. 188-191.

9. That the District Magistrate, Ghaziabad in coordination with the other departments in the present matter has to present the detailed status-report along-with budgetary allocation in consultation with the State of UP. In meantime, Ghaziabad Nagar Nigam is rendering full assistance to UP Jal Nigam to suppress the bad odour by using 1 PPM Sodium Hypochloride,

installation of 1 MLD Solar Aerator, regular de-silting and removal of encroachments.

10. That nothing material is concealed herefrom.

GM- Jal
Ghaziabad Nagar Nigam

Through Counsel

(VIBHAV MISHRA)
Advocate-on-Record
Ch No.221, CK Daphtary Lawyers' Chamber
Tilak Lane, Supreme Court of India
New Delhi-110001
(E): vibhavmishraoffice@gmail.com
(M): 9473565666

Drawn on: 05.08.2024
Filed On: 06.08.2024

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या 274/2022 प्रेम अग्रवाल एवं अन्य बनाम गवर्मेन्ट ऑफ दिल्ली एवं अन्य में दिनांक 30.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में गाजियाबाद नगर निगम के साहिबाबाद ड्रेन व लोनी नगर पालिका परिषद के इन्दिरापुरी एवं बन्थला कैनाल ड्रेन के सम्बन्ध में आख्याः–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.04.2024 को पारित आदेश **" Respondents are directed to take remedial measures in discharge of their statutory obligations and to file action taken reports regarding action taken / further action to be taken by them with specific budgetary allocations and timelines"** के क्रम में निम्नवत् अवगत कराना हैः–

1. **साहिबाबाद ड्रेन (गाजियाबाद नगर निगम) :–**

साहिबाबाद ड्रेन गाजियाबाद दिल्ली के भौपुरा बॉर्डर के पास तुलसी निकेतन से प्रारम्भ होती है और नोएडा में चीला रेगुलेटर के पास गाजीपुर ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में मिलती है। साहिबाबाद ड्रेन में गाजियाबाद के तुलसी निकेतन, शहीद नगर, शाालीमार गार्डन, करहेड़ा, राजेन्द्र नगर, ब्रज विहार, साहिबाबाद इडिस्ट्रियल एरिया, कौशाम्बी, वैशाली इत्यादि क्षेत्रों का अशोधित उत्प्रवाह निस्तारित हो रहा है। उक्त ड्रेन के दिल्ली सीमा में प्रवेश से पूर्व डिस्चार्ज वर्ष 2019 में 90 एम0एल0डी0 मापा गया था।

साहिबाबाद ड्रेन के अशोधित उत्प्रवाह को एन0एच0–24 के निकट आई0एण्ड डी0 के माध्यम से 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 इन्दिरापुरम पर डायवर्ट कर लगभग 74–76 एम0एल0डी0 अशोधित उत्प्रवाह का शोधन किया जा रहा है। शेष 16 एम0एल0डी0 अशोधित श्राव शालीमार गर्डन स्थित 17 एम0एल0डी0 सीवेज पम्पिंग स्टेशन से जे–प्वाईंट स्थित एम0पी0एस0 के माध्यम से इन्दिरापुरम स्थित 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर निस्तारित किया जाता है। इस प्रकार साहिबाबाद ड्रेन पर निर्मित से टैपिंग प्वाईंट से तत्समय ओवर फ्लो की स्थिति नहीं थी। वर्तमान में साहिबाबाद ड्रेन पर निर्मित टैपिंग प्वाईंट से ओवर फ्लो अवलोकित हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गाजियाबाद सीवरेज योजना (करहेड़ा जोन) निर्माणाधीन है, जिसके अन्तर्गत 68 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (एस0बी0आर0 तकनीक आधारित), एम0पी0एस0, आई0पी0एस0, 145.0 कि0मी0 सीवर नेटवर्क तथा 67669 नग सीवर गृह संयोजन के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनको माह जून–2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। उक्त योजना से साहिबाबाद ड्रेन के कैच्मेन्ट क्षेत्र के भौपुरा, कुटी, शालीमार गार्डन, पसौंडा, डी0एल0एफ0 कालोनी एवं इत्यादि क्षेत्रों का जनित सीवेज, लगभग 12 एम0एल0डी0, जोकि वर्तमान में साहिबाबाद ड्रेन में निस्तारित हो रहा है, को उक्त एस0टी0पी0 पर शोधित किया जायेगा।

2. इन्दिरापुरी एवं बन्थला कैनाल ड्रेन (लोनी नगर पालिका परिषद) :–

नगर पालिका परिषद, लोनी का अशोधित श्राव इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन के माध्यम से शाहदरा ड्रेन में निस्तारित होता है। इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन के इन्टरसेप्शन एवं डायावर्जन हेतु डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 384.00 करोड़ परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ के पत्र संख्या 501/0032/एस0एम0सी0जी0– यू0पी0/06 दिनांक 02.06.2020 द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी थी। उक्त योजना के परीक्षण उपरान्त महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अपने पत्र संख्या Pr-11013/9/2019-O/o Dir(T-III), NMCG dated 08.07.2020 के माध्यम से सूचित किया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित इन्द्रपुरी ड्रेन एवं बन्थला कैनाल ड्रेन में प्रवाहित हो रहे सीवेज की बी0ओ0डी0 एवं सी0ओ0डी की मात्रा अप्रत्याशित रूप से अधिक होना उक्त ड्रेनों में घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह दर्शाता है। महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा इन्द्रपुरी ड्रेन एवं बन्थला कैनाल ड्रेन में बी0ओ0डी0 एवं सी0ओ0डी0 की अधिकता के दृष्टिगत उक्त नालों के इण्टरसेप्शन से पूर्व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अभिमत प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी थी।

उपरोक्त के क्रम में तत्कालीन महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या 1681/डी0पी0आर0 प्राक्कलन/27 दिनांक 19.10.2020 द्वारा सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित पत्र के माध्यम से स्पष्ट अभिमत न दिये जाने के कारण अपने स्तर से स्पष्ट अभिमत उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के पत्र संख्या 1704/सा0पत्रा0–227/2020 दिनांक 09.11.2020 के माध्यम से प्रस्तावित एस0टी0पी0 में सी0ओ0डी0 की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु सी0ओ0डी0 रिमूवल यूनिट को समावेशित करते हुए एस0टी0पी0 की स्थापना किये जाने का अभिमत प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत के क्रम में मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2624/आई0एण्डडी0 नमामि गंगे दिनांक 18.11.2020 के माध्यम से असहमति व्यक्त करते हुए घरेलू एवं औद्योगिक उत्प्रवाह को संयुक्त रूप से शोधन के स्थान पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना कराया जाना उचित बताया गया है।

उक्त के क्रम में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या 825/022–0272(15)/2020 दिनांक 19.11.2020 द्वारा अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ से क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद एवं मुख्य अभियन्ता

(गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत से महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया। तत्क्रम में अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 1289/0557/एस0एम0 सी0जी0–यू0पी0/01 दिनांक 28.12.2020 द्वारा कार्यकारी निदेशक (परियोजना), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को उक्त अभिमत से अवगत कराया गया।

प्रतिउत्तर में महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपने पत्र संख्या Pr-11013/9/2019-O/o Dir(T-III), NMCG dated 15.02.2021 द्वारा विषयगत डी0पी0आर0 राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ को प्रत्यावर्तित करते हुए पत्र में निम्न उल्लेख किया गया है :–

1. As UPPCB has agreed with NMCG's observation that these drains have very high BOD and COD because of Industrial effluent getting mixed in the drains proposed to be intercepted and suggested to consider such high COD for design which will in turn convert proposed STP into CETP. Such high COD in design will have huge impact on capital and O&M cost of the plant.

2. NMCG is returning this DPR with advises to state to resolve non-compliant industrial discharge in storm water drains and/or propose a permanent solution to this problem. Even if STPs proposal is considered without resolving this issue, the STPs will not perform due to excessive industrial effluent ingress.

उपरोक्त के क्रम में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ महोदय ने अपने पत्रांक संख्या जी21/022–272(15)/2020 दिनांक 25.02.2021 द्वारा प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश शासन से इन्द्रापुरी ड्रेन एवं बन्थला कैनाल ड्रेन में प्रवाहित हो रहे अशोधित औद्योगिक उत्प्रवाह को प्रतिबन्धित करने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम–1975 यथा संशोधित 2021 की धारा–31(1) एवं धारा–37(1) के प्राविधानुसार नगर विकास अनुभाग–3 के कार्यालय आदेश संख्या 1792/9–3–2021–05सी/2021 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 तत्कालीन उ0प्र0 जल निगम के अन्तर्गत कार्यालयों को उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के मध्य विभाजित होने के फलस्वरूप इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन के आई0एण्ड0डी0 कार्यों की डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में कार्यवाही वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा की जानी थी। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्रांक 1644/एन0जी0टी0 दिनांक 27.07.2024 द्वारा मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को एवं मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्रांक 1413/नागर–2/033 नमामि गंगे/24 दिनांक 31.07.2024 द्वारा मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए मा0

एन0जी0टी0 में दायर प्रश्नगत याचिका 274/2022 में अपने स्तर से पैरवी किये जाने एवं डी0पी0आर0 स्वीकृति से सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने हेतु भी अवगत करा दिया गया है।

उपरोक्त प्रस्तावित कार्य कराये जाने के उपरान्त लोनी नगर के इन्दिरापुरी एवं बन्थला कैनाल ड्रेन में निस्तारित हो रहे घरेलू उत्प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकेगा।

05-08-2024

(सी0एस0 सोलंकी)
अधीक्षण अभियन्ता,
निर्माण मण्डल,
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
गाजियबाद।

(अरूण प्रताप सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (प्रथम),
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
गाजियबाद।

05.08.24

(आर0के0 पंकज)
मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र),
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
गाजियबाद।

साहिबाबाद नाला उपचार कार्ययोजना

(NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.)
Original Application No. 274/2022
Prem Aggarwal & Ors. Applicants
Versus
Govt. of NCT of Delhi & Ors.

दीर्घ अवधि कार्ययोजना

क्र.स.	कार्यवाही बिंदु	कार्यदायी संस्था	कार्य पूर्ण होने का दिनांक
१	उल्लेखनीय है कि अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गाजियाबाद सीवरेज योजना (करहेड़ा जोन) निर्माणाधीन है, जिसके अन्तर्गत 68 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, एम0पी0एस0, आई0पी0एस0, 145.0 कि0मी0 सीवर नेटवर्क तथा 67669 नग सीवर गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है। उक्त योजना से साहिबाबाद ड्रेन के कैच्मेन्ट क्षेत्र के भौपुरा, कुटी, शालीमार गार्डन, पसौंडा, डी0एल0एफ0 कालोनी एवं इत्यादि क्षेत्रों का जनित सीवेज, लगभग 12 एम0एल0डी0, जोकि वर्तमान में साहिबाबाद ड्रेन में निस्तारित हो रहा है, को उक्त एस0टी0पी0 पर शोधित किया जायेगा। शालीमान गार्डन स्थित 17 एम0एल0डी0 सीवेज पम्पिंग स्टेषन की राईजिग मेन में लीकेज के कारण लगभग 08 एम0एल0डी0 श्राव साहिबाबाद ड्रेन में निस्तारित हो रहा है, जिस कारण साहिबाबाद ड्रेन के 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के टेपिंग प्वाईट से हो रहे ओवर फ्लो में उक्त श्राव सम्मिलित है। उक्त राईजिंग मेन के नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा मरम्म्त कराये जाने के उपरान्त उक्त श्राव साहिबाबाद ड्रेन में निस्तारित होना बन्द हो जायेगा। इस प्रकार करहेड़ा सीवरेज योजना के पूर्ण होने एवं उक्त राईजिंग मेन में लीकेज की मरम्मत के उपरान्त साहिबाबाद ड्रेन के टैपिंग प्वाईट से हो रहा ओवर फ्लो नियत्रिंत हो सके।	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (गा0क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय), सै0-1 राजनगर, गाजियाबाद - 201002 की विस्तृत आख्या संलग्न है	08 जून २०२६ , कार्यालय अधीक्षण अभियंता , निर्माण मंडल , उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के पत्रांक 165 /गा०/17 दिनांक ११ /१२/ २०२३ (पत्र संलग्न है)

238
लघु अवधि कार्ययोजना

क्र. स.	कार्यवाही बिंदु	कृत कार्यवाही	समयसीमा	
१	74 एम0एल0डी0 पानी का एस0बी0आर0 तकनीक से उपचार	साहिबाबाद नाले का कुल प्रवाह लगभग 90 एम0एल0डी0 है। उक्त जलउपचार हेतु इन्दिरापुरम में 74 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 द्वारा अपनी पूरी अधिकतम क्षमता पर नियमित रूप से संचालित है। उक्त के रख-रखाव का दैनिक रजिस्टर वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मैसर्स वी0ए0टैक वबाग लि0, चेन्नई द्वारा किया जा रहा है, जिसकी नियमित जॉच नगर निगम द्वारा की जा रही है।	नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है	

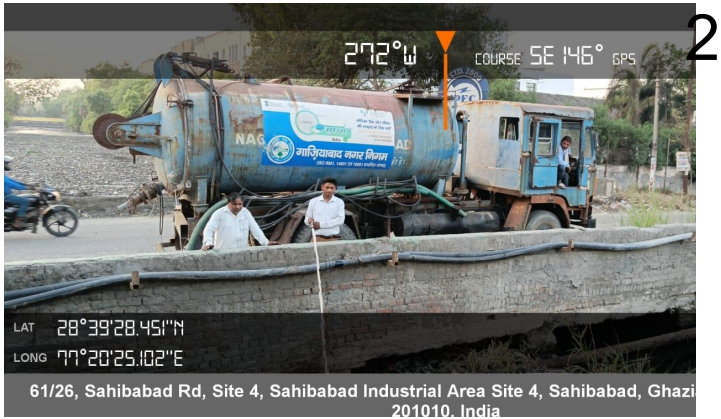

क्र. स.	कार्यवाही बिंदु	कृत कार्यवाही	समयसीमा	
2.	अनुपचारित जल से आ रहीं बदबूदार गैसों का उपचार हेतु क्लोरीनेशन	पायलेट परियोजना के रूप में एनएरोब बैक्टेरिया को मारने व बदबू कम करने के लिये टैंकर द्वारा नियमित रूप से 01 पीपीएम सोडियम हाईपोक्लोराईड की डोज़िंग की जा रही है, जिससे बदबू कम करने में आंशिक सफलता मिल रही है।	नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है	

क्र. स.	कार्यवाही बिंदु	कृत कार्यवाही	समयसीमा	
3.	अनुपचारित जल से में प्रदूषण भार कम करने व् ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का प्रयास	पायलट परियोंजना नंबर ०२ के रूप में 01 एम0एल0डी0 क्षमता का सॉलर एयरेटर की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ 01 पी0पी0एम0 ओजोन गैस अनउपचारित जल के उपचार हेतु नियमित रूप से प्रवाह करने की योजना पर भी कार्य सेन्टर फोर वाटरपीस न्यास के सहयोग से प्रगति पर है। उक्त योजना के मूल्यांकन उपरांत इसे पूरे नाले पर अपनाने की योजना है	नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है	

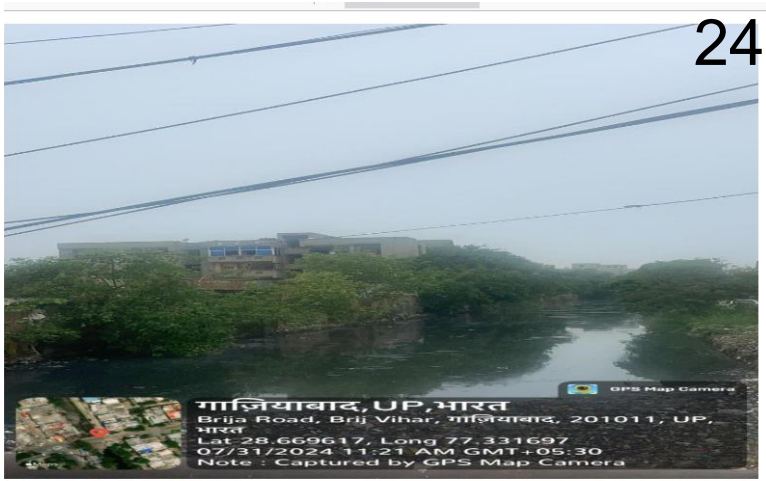

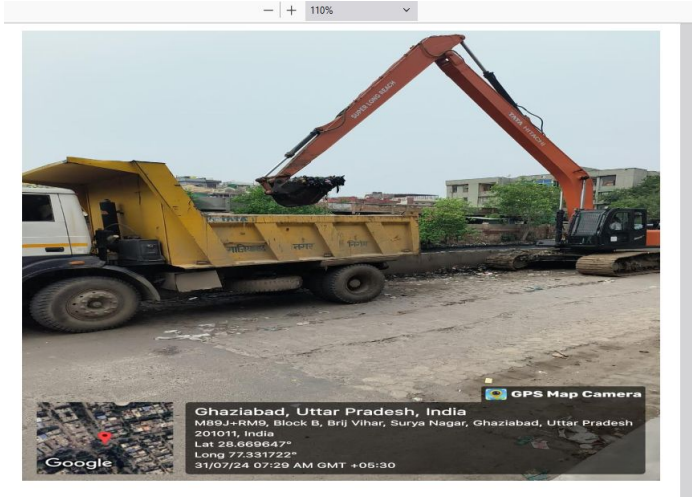

क्र. स.	कार्यवाही बिंदु	कृत कार्यवाही	समयसीमा	
4.	नाले की साफ़ सफाई एवं डीसिल्टिंग कार्य	नगर निगम द्वारा नियमित रूप से नाले की सिल्ट निकालने का कार्य किया जा रहा है और नाले में बहने वाले तैरते हुये कचरे का भी नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।	नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है	

क्र. स.	कार्यवाही बिंदु	कृत कार्यवाही	समयसीमा	
5.	नाले के दोनों और अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही	नगर निगम संपत्ति विभाग द्वारा नियमित रूप से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है	नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है	